निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
79/2019	12.3.2019	28-2-2020

1. भगवान सहाय पुत्र श्यामलाल, माली निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी
2. सुनीता पुत्री श्यामलाल, माली निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट प्राथीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 176 रकबा 1.25 है0, ख0न0 331 रकबा 0.29 है0, ख0न0 115 रकबा 0.13 है0, 116 रकबा 0.02 है0, ख0न0 118 रकबा 0.33 है0, ख0न0 119 रकबा 0.02 है0, ख0न0 120 रकबा 0.05 है0 ग्राम छाबा स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश प्रार्थी का नाम भगवानसहाय पुत्र श्यामलाल की जगह लाला व सुनीता पुत्री श्यामलाल की जगह सीमा अंकित कर दिया है जो गलत है। प्रार्थी के पिता श्यामलाल के लाला व सीमा नाम का कोई पुत्र व पुत्री नही है। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थी का नाम लाला व भगवानसहाय एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार सुनीता का दर्ज नाम सीमा व सुनीता एक ही है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थीगण राज्य सरकार द्वारा कृषको को दिये जा रहे लाभों का उपयेाग नही कर पा रहा है। जिससे प्रार्थीगण को काफी हानि हो रही है। प्रार्थीगण के अन्य राजकीय व अर्द्ध राजकीय दस्तोवजो मे प्रार्थी का नाम भगवान सहाय व सीमा ही दर्ज है किन्तु उसके बाबजूद भी राजस्व कर्मचरियों द्वार प्रार्थी का नाम भगान सहाय की जगह लाल व सुनीता की जगह सीमा अंकित कर दिया है। उक्त भूल सद्भाविक है जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को उक्त इन्द्राज की जानकारी जमाबंदी की नकल लेने पर हुई है। जिसमे प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि ख0न0 176 रकबा 1.25 है0, ख0न0 331 रकबा 0.29 है0, ख0न0 115 रकबा 0.13 है0, 116 रकबा 0.02 है0, ख0न0 117 रकबा 0.12 है0, ख0न0 118 रकबा 0.33 है0, ख0न0 119 रकबा 0.02 है0, ख0न0 120 रकबा 0.05 है0 ग्राम छाबा मे प्रार्थी सख्या 1

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (...)

भगवानसहाय पुत्र श्यामलाल का नाम लाला नाबालिग जरिए सरंक्षकमाता की जगह भगवान सहाय पुत्र श्यामलाल एवं सीमा पुत्री श्यामलाल जरिए सरंक्षक माता की जगह सुनीता पुत्री श्यामलाल दुरूस्त किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या नया 51 व 52 ग्राम छाबा, फोटोकॉपी आधार कार्ड सुनीता सैनी, फोटोकॉपी आधार कार्ड संतरा, फोटोकॉपी भामाशाह कार्ड, फोटोकॉपी राशनकार्ड पेश किए हैं।

प्रकरण में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई जो तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/632 दिनांक 15.5.2019 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रार्थना पत्र, तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी भगवानसहाय का नाम लाला दर्ज नही होकर भगवानसहाय दर्ज है तथा प्रार्थी सुनीता का नाम सीमा दर्ज नही होकर सुनीता दर्ज है एवं उक्त दोनो प्रार्थीगण इनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार बालिग हो चुके है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि लाला व भगवानसहाय एक ही व्यक्ति है इसी प्रकार सीमा व सुनीता भी एक ही है। इनके समस्त दस्तावेजों मे भी भगवानसहाय पुत्र श्यामलाल एवं सुनीता पुत्री श्यामलाल दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण जमाबंदी मे दर्ज उनके नाम क्रमशः लाला व सीमा को भगवानसहाय व सुनीता दर्ज कराने के अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम छाबा के खाता संख्या 51 में दर्ज भूमि ख0न0 176, 331 में दर्ज प्रविष्टि "नाबालिग लाला पुत्र श्याम संरक्षक सरपरस्त माता खुद हिस्सा 1/8

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

जाति माली साकिन छाबा की बगीची खातेदार" के स्थान पर प्रविष्टि " भगवानसहाय पुत्र श्यामलाल हिस्सा 1/8 जाति माली साकिन छाबा की बगीची खातेदार " एवं प्रविष्ठि " नाबालिग सीमा पुत्री श्याम संरक्षक सरपरस्त माता खुद हिस्सा 1/8 जाति माली साकिन छाबा की बगीची खातेदार" के स्थान पर प्रविष्ठि " सुनीता पुत्री श्यामलाल हिस्सा 1/8 जाति माली साकिन छाबा की बगीची खातेदार" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन नम्बरो में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

इसी प्रकार ग्राम छाबा की जमाबंदी संवत 2071 से 74 खाता संख्या 52 मे दर्ज ख0न0 115, 116, 117, 118, 119, 120 मे दर्ज प्रविष्टि "नाबालिग लाला पुत्र श्याम संरक्षक सरपरस्त माता खुद हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन देह खातेदार" के स्थान पर प्रविष्टि " भगवानसहाय पुत्र श्यामलाल हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन देह खातेदार " एवं प्रविष्ठि " नाबालिग सीमा पुत्री श्याम संरक्षक सरपरस्त माता खुद हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन देह खातेदार" के स्थान पर प्रविष्ठि " सुनीता पुत्री श्यामलाल हिस्सा 1/16 जाति माली साकिन देह खातेदार" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन नम्बरो में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-2-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.06 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: